वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग – 2
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/RAIL/32194/2018

7.	परियोजना /स्कीम का स्थान	ईस्ट रेल कारीडोर परियोजना फेस –II उरगा से धरमजयगढ़ तक ब्रॉड गेज रेल लाईन के निर्माण कार्य हेतु
(i)	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	रायगढ़
(iii)	वन प्रभाग	धरमजयगढ़ वनमण्डल के परिक्षेत्र छाल एवं धरमजयगढ़, जिला– रायगढ़
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टयर)	97.667 हे.
(v)	वन कानूनी स्थिति	**धरमजयगढ़ वनमंडल – 97.667 हें.** आरक्षित वनभूमि 5.096 हे. संरक्षित वनभूमि 41.077 हे. राजस्व वनभूमि 51.494 हे.
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4 से 0.5
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचांई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ॰आर॰एल॰,एफ॰ एफ॰ आर॰ एल॰–2 मी॰ पर परिगणना और एफ॰ आर॰एल॰ 4 मी॰ भी संलग्न किये जाये।	सागौन, साल, बीजा, खम्हार, महुआ, साजा, चार, परसा एवं अन्य मिश्रित प्रजातियां। आवेदित क्षेत्र में कुल वृक्षों की संख्या 30117 नग वृक्ष एवं 6 नग बांस भिर्रा। वृक्ष गणना प्रतिवेदन गोलाईवार संलग्न है।

(viii)	भूमि कटाव के लिये वनक्षेत्र का महत्व, क्या यह गंभीर रूप से क्षेत्र का हिस्सा है, या नहीं	माध्यम रेंज का मिट्टी कटाव एवं नरवा की Disturbance है, अतः आवश्यकतानुसार जहां जरूरत है वहां भू जल संरक्षण कार्य किया जाना उचित होगा।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित रेल्वे लाईन राजस्व भूमि के अलावा वनभूमि की विभिन्न कक्ष क्रमांक के भीतर गुजर के जा रहा है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	उक्त रेल्वे लाईन चिन्हित किया गया है वह क्षेत्र में छ0ग0 वन विभाग कैम्पा द्वारा प्रस्तावित वाईल्ड लाईफ कारीडोर स्थित है तथा प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र से 03 कि. मी की दूरी में आता है, प्रस्तावित रेल्वे लाईन में धरमजयगढ़ एवं छाल परिक्षेत्र में जहां साल भर हाथी की उपस्थिति और आवागमन रहता है। कई जगह पर हाथी दल का उक्त प्रस्तावित रेल्वे लाईन से Crossing नियमित रूप से होते रहता है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं हैं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं हैं।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग –1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	हां न्यूनतम आवश्यकता जमीन मांग किया गया है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नही) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी	नहीं हैं।

	अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहें है।	
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	संलग्न है।
(i)	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये शिनाख्त किये गये गैर वनक्षेत्र/बिगड़े वनक्षेत्र का व्यौरा निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या,प्रत्येक हिस्से का आकार।	ईस्ट रेल कारीडोर परियोजना फेस –II उरगा से धरमजयगढ़ तक ब्रॉड गेज रेल लाईन में प्रभावित वनभूमि के बदले दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र का चयन किया गया है जिस कारण वनेत्तर क्षेत्र का मानचित्र की आवश्यकता नहीं है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	प्रस्तावित CA क्षेत्र वनभूमि में होने के कारण आवश्यकता नहीं है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढॉचा आदि	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	251652555/–
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	संलग्न है।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	East rail corridor project phase-II runs through Chhal and Dharamjaigarh range of Dharamjaigarh Forest division. 97.667 ha of forest land has been requested for diversion under FCA 1980. In Dharamjaigarh division average year round presence of 40-50 elephant has been observed. The population peaks even upto 80-90 for few months of the year. These two forest ranges(Chhal and Dharamjaigarh ranges) caters 60-70 % elephant population of Dharamjaigarh division. Due to dence natural forest,large tract of Plain topography,

		adequate water and forage availability, good crown cover and contagious nature of forest patches enable elephants to prefer this habitat for longer presence as compared to other range. The rail line cuts through this crucial habitat, at times even at elephant regular crossing points. User agency seriously should take into account these elephant crossing points and strip width while designing its project. UA should give enough porosity for elephant movement by way of raising its rail line heights at crucial elephant crossings and strips in addition to overpasses and underpasses wherever necessary for wild elephants to keep the thriving habitat and its population viable for unhindered genetic exchange and population evolution in Chhattisgarh. Neither RET species nor archaeological and historical sites gets affected by the project. The requested land is necessary and minimum for the project. UA has not violated FCA rules.
12.	विभाग/जिला प्रोफाईल	धरमजयगढ़ वनमंडल, जिला – रायगढ़
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6527.440 वर्ग किलो मीटर
(ii)	जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल का वन क्षेत्र	आरक्षित वन – 768.571 वर्ग किलो मीटर संरक्षित वन – 286.872 वर्ग किलो मीटर असीमांकित वन – 657.976 वर्ग किलो मीटर कुल वनक्षेत्र – 1713.419 वर्ग किलो मीटर
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	7 प्रकरण रकबा 384.974 हेक्टेयर
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरकः	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।	50.000 हेक्टेयर
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	0.000 हेक्टेयर

(v)	वर्ष 2019 – 2020 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :	
(क)	वन भूमि।	1917.627 हे.
(ख)	वनेत्तर भूमि पर।	निरंक
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	Proposed project is necessary for socio economic development of our nation. If adequate safety measures quoted at DCF report (point 11) for conservation of elephant habitat and elephant population taken care of then this project can be approved.

स्थान : धरमजयगढ़

दिनांक : 25/10/2021

मणिवासगन एस. भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल